

273

149

श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्यालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.



Rs. 20/-

R. 5041-नो/15

भारत शरण सिंह तनय श्री हरिमंगल सिंह उम्र 65 वर्ष शासकीय पेंशनर निवासी ग्राम पड़री तह. सिरमौर जिला रीवा म.प्र.निगरानीकर्ता

बनाम्

- 1- शासन म.प्र. द्वारा तहसीलदार तहसील सिरमौर जिला रीवा म.प्र.
- 2- रामभुवन पाण्डेय तनय श्री राजरूप पाण्डेय निवासी ग्राम सदहना तहसील सिरमौर जिला रीवा म.प्र.
- 3- रामकरण मिश्रा तनय श्री दददी प्रसाद मिश्रा निवासी तिलक नगर रीवा तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

.....उत्तरदाता/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा म.प्र. के प्रकरण क्र. 31 अ/12/2014-15 भरण शरण सिंह विरुद्ध शासन म.प्र. में पारित आदेश दिनांक 30.07.

2015

निगरानीकर्ता अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

1959

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि आवेदक के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि आ.नं. 1956, 1957, 1959, 1960 एवं 1954 कुल 6 किता भूमि ग्राम पड़री पटवारी हल्का पड़री तह. सिरमौर जिला रीवा में स्थित है। आवेदक ने अपने स्वत्व व अधिपत्य की उक्त भूमियों का सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र मय शुल्क अधिनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत सिरमौर तह. सिरमौर जिला रीवा म.प्र. के समक्ष प्रस्तुत किया गया था अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित पटवारी के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमियों के सीमावर्ती काश्तकारों को दिनांक 22.05.2015 को विधिवत सूचना दी गई कि दिनांक 26.05.2015 को प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन किया जाना है। दिनांक 26.05.2015 को आवेदक व अन्य सीमावर्ती काश्तकारों तथा राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति में संबंधित पटवारी द्वारा

.....2

396
11.9.15

श्री. मंगलेश्वर सिंह
11.9.15
एड के
सिंडर
सर्किट कोर्ट रीवा

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....R-5041-II/15.....जिला शेवा.....भरत शर्मा सिंह.....विरुद्ध.....आसन, रामधुवन पाण्डेय

1	2	3
16-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>मंगलेश्वर सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>शेवा</u> तहसील <u>शेवा</u> के प्रकरण क्रमांक.....<u>31/35-12/2014-15</u>.....में पारित आदेश दिनांक.....<u>30.07.15</u>.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर.....<u>शेवा</u>.....के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक.....<u>29.03.19</u>.....को कलेक्टर.....<u>शेवा</u>.....के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	


सदस्य